

29-01-2024

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। चूंकि अपील अपीलार्थीगण अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण मियाद बाहर होने से आज निर्णित होकर खारिज हो चुकी है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थीगण अब प्रभावहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

